न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

जमानत आवेदन संख्या 65/2026

सबिता देवी

बनाम

बिहार सरकार

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता..... श्री ओम प्रकाश।
सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री केदारनाथ तिवारी, लोक अभियोजक।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह।

दिनांक– 26.03.2026

ब्रम्हपुर थाना कांड संख्या 243/2025
अन्तर्गत धारा–105, 318, 3(5) बी.एन.एस.

आदेश

1. काराधीन आवेदिका/अभियुक्त सबिता देवी की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को सुना गया। ।

2. आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका निर्दोष है तथा इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका/अभियुक्त दिनांक–15.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदिका इससे पहले ए0बी0पी0 या बी0पी0 न तो सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अतः आवेदिका द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाए।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वाद के सूचक राजेश चौधरी का कथन है कि मेरी पत्नी पूजा कुमारी गर्भावस्था में थी तथा सूचक उसका ईलाज कराने हेतु रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर दिनांक–09.12.2025 को गया। वहॉ से सूचक बक्सर सदर अस्पताल अपनी पत्नी को ले जाने के लिये तैयारी ही कर रहा था कि वहीं पर मौजूद आशा कार्यकर्ता सविता, जो रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मौजूद थी, उसके द्वारा सूचक को झॉसा देकर कहा गया कि आपके पत्नी के पेट में बच्चा गर्भ के मुॅह पर आ गया है, बक्सर सदर अस्पताल जाते–जाते बहुत देर हो जायेगी, हम यहीं रघुनाथपुर में ही एक निजी अस्पताल सुषमा क्लिनिक में नॉर्मल सुरक्षित बच्चा की डिलिवरी करा दूॅगी तथा सविता के द्वारा सूचक को झॉसे में लेकर रघुनाथपुर में सुषमा क्लिनिक में सूचक की पत्नी को लेकर चली गयी, जहॉ पर मौजूद डॉक्टर कृष्णा कुमार से सविता द्वारा ईलाज हेतु सूचक की पत्नी को भर्ती करा दिया गया तथा सूचक से 15,000 /–रूपया नगद जमा कराया गया तथा कोई कागज भी नहीं दिया गया। आशा कार्यकर्ता सविता द्वारा सूचक को इंतजार करने को कहा गया। सविता एवं डॉ0 कृष्णा कुमार सूचक की पत्नी का ईलाज करने लगे तथा सूचक से बिना बताये तथा बिना ऑपरेशन की सूचक से लिखित सहमति लिये हुये सूचक की पतनी का ऑपरेश कर दिया गया तथा ऑपरेशन के दौरान गलत ऑपरेशन से सूचक का बच्चा भी मर गया तथा सूचक की पत्नी के ऑपरेशन के दौरान कई नस काट दिया गया, जिससे उसकी स्थिति काफी खराब हो गई। सूचक से बिना बताये आशा

कार्यकर्ता सविता एवं डॉ0 कृष्णा कुमार अपने निजी गाड़ी से चुपके से सूचक की पत्नी को लादकर लेकर चले गये तथा बीच रास्ता में एम्बुलेन्स में सूचक की पत्नी को रख दिये तथा एम्बुलेन्स के चालक को आरा के किसी निजी अस्पताल ले जाने को बोले तथा आरा में सूचक की पत्नी को निजी अस्पताल द्वारा भर्ती लेने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय समझता है कि आवेदक दिनांक–15.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदिका एक महिला है और वह अपने परिवार के भरण–पोषण के लिये अपने परिवार की एकमात्र सदस्य है और वह एक विधवा महिला भी है। आवेदिका के कथनानुसार उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

वाद में आवेदिका के विरूद्ध चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है। सह–अभियुक्त डॉक्टर कृष्णा कुमार यादव को पूर्व में ए.बी.पी. का लाभ दिया गया था। जमानत देना नियम है तथा खारिज करना अपवाद है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदिका/अभियुक्त को मो0 10000/–(दस हजार रूपये) के बंधपत्र समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ दाखिल करने पर जमानत की सुविधा इस शर्त पर दिया जाता है कि :–

1. आवेदिका अथवा आवेदिका के अधिवक्ता प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेंगे। लगातार दो तिथियों पर आवेदक एवं उसके अधिवक्ता दोनों के अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।
2. आवेदिका अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बंधपत्र दाखिल करते समय एक अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे, जैसा कि जमानत आवेदन में लिखा है।

(लेखापित व शुद्धित)
ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
बक्सर।